न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास डॉ. भँवर लाल, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 16/2019

प्रार्थी
श्री शान्तिलाल पुत्र श्री धरमाजी जाति घांची निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत नितौडा जरिए सरपंच ग्राम पंचायत नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्रीमती शान्तिदेवी पत्नि स्व. श्री देवाराम जाति सरगडा निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री हंसाराम पुत्र स्व. श्री देवाराम जाति सरगडा निवासी नितौडा हाल निवास मीणावास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्री दलपतराम पुत्र स्व. श्री देवाराम जाति सरगडा निवासी नितौडा हाल निवास मीणा वास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
6. श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री देवाराम जाति सरगडा निवासी नितौडा हाल निवास मीणा वास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
7. श्रीमती चम्पा पुत्री स्व. श्री देवाराम पत्नि श्री शंकरजी जाति सरगडा निवासी उपतहसील कार्यालय भावरी के पास सरूपगंज तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
8. श्रीमती सीता पुत्री स्व. श्री देवाराम पत्नि श्री छगन जाति सरगडा निवसी उडवारिया हाल एयरफोर्स आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही।
9. श्रीमती कमला पुत्री स्व. श्री देवाराम पत्नि श्री मूलचन्द जाति सरगडा निवासी सांतपुर हाल जनता कॉलोनी गांधीधाम भुज–कच्छ गुजरात।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–
1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्रसिंह आढा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या तीन से नौ की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 18.11.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी किया [illegible] संख्या 7/112/84–85 दिनांक 07.11.1984 वर्गफीट 1350 को निरस्त करने हेतु [illegible] बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज [illegible] नियम 267 के तहत जारी किया गया है, जो विधिविरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:15 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की फौत हो जाने से उनके वारिसानों को पक्षकार बनाकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या एक व दो बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन से नौ की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा ने जरिये वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को नियमो के विपरित पट्टा संख्या 7/112/84–85 दिनांक 07.11.1984 वर्गफीट 1350 जारी किया है। प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया है कि ग्राम नितौडा में सरूपगंज कालन्द्री रोड पर सरगडों की गुआडी के पास श्री किशनलाल पुत्र श्री कलाजी सरगडा का कब्जेशुदा भूखण्ड आया हुआ है, जिसे प्रार्थी ने श्री किशनलाल को रूपए 15000/– देय दिनांक 17.06.1996 को 15×45 का कब्जा प्रार्थी ने प्राप्त किया और प्रार्थी ने उसमें 10 ट्रॉली पत्थर डलवाकर कांटो की बाड लगवाई एवं तब से प्रार्थी को कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है। यह है कि श्री किशनलाल के कब्जेशुदा भूखण्ड के पास श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा का कब्जा था एवं श्री देवाराम के कब्जेशुदा भूखण्ड पर ग्राम पंचायत से अप्रार्थी संख्या पांच श्री दलपतराम के नाम से दिनांक 07.06.1997 को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त भूखण्ड को दिनांक 16.06.1997 को श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह राजपूत निवासी नितौडा को बेचान कर दिया और बाद में प्रार्थी के भूखण्ड का फर्जी व कूटरचित पट्टा गलत रूप से ग्राम पंचायत से मेल मिलाप कर पट्टा संख्या 7/112/84–85 दिनांक 07.11.1984 वर्गफीट 1350 को अप्रार्थी संख्या तीन से नौ के पिता/पति श्री देवाराम पुत्र कलाजी सरगडा के नाम से प्राप्त किया, जो अवैध व निरस्त योग्य है। यह है कि एक व्यक्ति को एक ही पट्टा प्राप्त होता है, जो श्री देवाराम के नाम से प्राप्त होने व उसे आगे प्राप्त होते ही बेचान करने के लिए दूसरा पट्टा प्राप्त नही हो सकता है। यह कि पट्टा संख्या 7/112/84–85 दिनांक 07.11.1984 वर्गफीट 1350 की कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नहीं है एवं न ही उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड पर श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा का कभी भी कब्जा आधिपत्य रहा है। यह कि श्री देवाराम के कब्जेशुदा भूखण्ड का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र बनाकर श्री अर्जुनसिंह को बेचान किया जा चुका है एवं श्री देवाराम के भाई श्री किशनलाल के कब्जेशुदा भूखण्ड जिसका प्रार्थी ने रूपए 15000/– देकर कब्जा प्राप्त किया है। यह कि उक्त विवादग्रस्त पट्टे की नाप व चतुर्दशी का मिलान प्रार्थी के भूखण्ड से नहीं करता है एव ना ही उक्त पट्टे की पत्रावली एवं अन्य कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत नितौडा में उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट है कि पट्टा कूटरचित व फर्जी है एवं निरस्त किए जाने योग्य है। यह कि उक्त विवादित पट्टे में दक्षिण में श्री सोना पुत्र श्री लुम्बाजी का मकान लिखा है और श्री सोना पुत्र श्री लुम्बाजी के पुत्र श्री तुलसीराम पुत्र श्री सोनाजी के नाम से जारी पट्टे में उत्तर दिशा में आम रास्ता दर्ज है, जिससे भी स्पष्ट है कि गलत नाप एवं चतुर्दशी का पट्टा बनाया गया है और उपरोक्त रास्ते के पास तथा सड़क व रास्ते की बीच की भूमि पर श्री किशनलाल पुत्र श्री कलाजी का कब्जाशुदा भूखण्ड था, जिस [illegible] में प्रार्थी का कब्जा है। यह कि श्री किशनलाल के जीवित रहने तक अप्रार्थी [illegible] से नौ एवं श्री देवाराम ने कोई आपत्ति नहीं की परन्तु श्री [illegible] तथाकथित फर्जी पट्टे के आधार पर कब्जा प्राप्त [illegible] झूठा मुकदमा तथा वाद प्रार्थी के विरूद्ध पेश किया, जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि उक्त विवादग्रस्त पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है, जिसकी आवंटन शर्तो के अनुसार दो वर्षों में मकान या झोंपडा बनाना आवश्यक था अन्यथा पट्टा स्वतः निरस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:15 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

माना जाता है, जिससे वर्ष 1984 में आवंटित पट्टे की भूमि पर वर्ष 1996 तक प्रार्थी द्वारा कब्जा प्राप्ति तक कोई भी झोंपडा या मकान निर्माण नहीं किया गया था, जिससे भी यह पट्टा निरस्त किए जाने योग्य है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर विवादित पट्टा संख्या 7/112/84-85 दिनांक 07.11.1984 वर्गफीट 1350 को निरस्त करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या तीन से नौ के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या तीन से नौ के पिता/पति श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। अप्रार्थी संख्या तीन से नौ का मौके पर काबिज है एवं उसका उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं, जिसकी प्रार्थी को भलीभांति जानकारी है। यह कि प्रार्थी द्वारा किए गए कथन कि दिनांक 07.06.1997 को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र एवं दिनांक 16.06.1997 को श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह राजपूत निवासी नितौडा को बेचान करने के कथन पूर्णतया गलत, मनगढंत व मिथ्या है। यह कि उक्त पट्टा दिनांक 07.11.1984 को अप्रार्थी संख्या तीन से नौ के पिता/पति श्री देवाराम के नाम से जारी होने के पश्चात उक्त भूमि का कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत या किसी भी प्राधिकारी नही है एवं न ही इस प्रकार का कोई कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र इस भूमि के सम्बन्ध मे जारी किया गया है। यह कि विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा उनकी सम्पूर्ण देखरेख में नियमानुसार समस्त औपचारिकता पूर्ण कर श्री देवाराम द्वारा पात्रता रखने से उसके हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा द्वारा अनुमोदन किया गया है। यह कि स्व. श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा के उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड से उनके भाई श्री किशनलाल का कोई लेना-देना नहीं है एवं श्री किशनलाल ने अगर ग्राम पंचायत की पडत भूमि को प्रार्थी को बेचान किया भी है, तो उक्त बेचान कानूनन शून्य व बातिल है एव ऐसे इकरारनामा से प्रार्थी को कानूनन कोई हक अधिकार पैदा नहीं होता है एवं श्री किशनलाल को ग्राम पंचायत की जमीन बेचने का कोई हक अधिकार नहीं है। यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टेशुदा भूखण्ड पर अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया, जिस पर अप्रार्थी की ओर से एक सिविल वाद सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा के न्यायालय में पेश किया एवं उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी. सी. के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिस पर वाद सुनवाई पक्षकारान स्व. श्री देवाराम के वारिसान का प्रथम दृष्टया प्रकरण मानते हुए उनका भूखण्ड पर कब्जा प्रमाणित होना मानते हुए प्रार्थी श्री शान्तिलाल को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबन्द कर स्व. श्री देवाराम के पट्टेशुदा सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्व. श्री देवाराम के वारिसान के उपयोग उपभोग में कोई बाधा/व्यवधान नहीं करने हेतु पाबन्द किया गया था। इस प्रकार उस आदेश से भी यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त सम्पत्ति पर स्व. श्री देवाराम के वारिसान अप्रार्थी संख्या तीन से नौ का कब्जा लगातार चला आ रहा है। यह कि उक्त विवादग्रस्त पट्टे की सम्पत्ति पर स्व. श्री देवाराम ने उसी समय कच्चा केलुपोश मकान बनाया था, उसमें वे सपरिवार निवासरत रहे है एवं उक्त कच्चा केलुपोश मकान गिर जाने से उनकी धर्मपत्नि श्रीमती शांतिदेवी ने ग्राम पंचायत नितौडा ने नवनिर्माण करने हेतु दिनांक 18.02.2013 को [illegible] किया था एवं नियमानुसार शुल्क भी जमा करवा दिया था एवं नल पानी [illegible] सी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं निर्माण हेतु पत्थर डलवा[illegible] है एवं इसके पश्चात प्रार्थी ने बिना वजह विवाद [illegible] तब अप्रार्थी की ओर से इस सम्बन्ध में एक वाद सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो लम्बित है एवं मूल वाद के निस्तारण तक उक्त स[illegible]त्ति के मौके एवं रेकर्ड की

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

यथास्थिति के आदेश होने से अप्रार्थीगण की ओर से नवनिर्माण नहीं हो सका। अतः प्रार्थी ने अप्रार्थी को हैरान परेशान करने से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को खारिज करना फरमायें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

अप्रार्थी संख्या तीन से नौ के पिता/पति स्व. श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को उक्त विवादग्रस्त पट्टा संख्या 7/112/84–85 दिनांक 07.11.1984 वर्गफीट 1350 ग्राम पंचायत, नितौडा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन है कि ग्राम नितौडा में सरूपगंज कालन्द्री रोड पर सरगडों की गुआडी के पास श्री किशनलाल पुत्र श्री कलाजी सरगडा के कब्जेशुदा भूखण्ड आया हुआ है, जिसे प्रार्थी ने जरिए इकरारनामा के श्री किशनलाल को रूपए 15000/– देय दिनांक 17.06.1996 को 15×45 का कब्जा प्रार्थी ने प्राप्त किया, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि बेचान करने वाले श्री किशनलाल पुत्र श्री कलाजी सरगडा के पास उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का न तो कोई कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र उपलब्ध है एवं न ही किसी भी प्रकार का कोई पट्टा है। अतः बिना कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र एवं पट्टा के उक्त वादग्रस्त भूखण्ड पर श्री किशनलाल पुत्र श्री कलाजी सरगडा का स्वामित्व साबित नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में श्री किशनलाल के पास भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने से उनके द्वारा प्रार्थी को जरिए इकरारनामा के किया गया विक्रय को कानूनन परिपोषणीय नहीं माना जा सकता। यह कि श्री किशनलाल पुत्र श्री कलाजी द्वारा किए गए इकरारनामा के विक्रय विलेख में अंकित चतुर्दशी एवं श्री देवाराम पुत्र श्री कलाजी सरगडा निवासी नितौडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही जो जारी उक्त विवादित पट्टे में अंकित चतुर्दशी में भी मिलान नहीं हो रहा है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि श्री देवाराम के कब्जेशुदा भूखण्ड पर ग्राम पंचायत नितौडा से अप्रार्थी संख्या पांच श्री दलपतराम के नाम से दिनांक 07.06.1997 को कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र प्राप्त कर उक्त भूखण्ड को दिनांक 16.06.1997 को श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह राजपूत निवासी नितौडा को बेचान किया गया, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि ग्राम पंचायत नितौडा द्वारा अप्रार्थी संख्या पांच को दिनांक 17.06.1997 को किसी भी प्रकार का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र (कब्जा भोगवटा प्रमाण पत्र) जारी किया हो। जहां तक ग्राम पंचायत नितौडा में उक्त विवादित पट्टे से सम्बन्धित पत्रावली के उपलब्ध नहीं होने का सवाल है तो रेकर्ड व्यवस्थित रखने का दायित्व ग्राम पंचायत का होता है, इसके लिए किसी व्यक्ति के सुखाधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है। यह कि उक्त विवादग्रस्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 267 के तहत निःशुल्क जारी किया गया है, जिसमें पट्टाधारक को दो वर्ष में मकान/झोंपडा बनाना आवश्यक होता है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर [illegible] भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित करता हो कि [illegible] द्वारा निर्धारित समयावधि 2 वर्ष के अन्दर मकान निर्माण करवाया है अथवा नहीं [illegible] मकान निर्माण नहीं करने की स्थिति में आवंटन अधिकारी को भूखण्ड वापस [illegible] अधिकार है, लेकिन इस प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण नहीं होने पर भी आंवटी [illegible] किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यह कि उक्त विवादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या तीन से नौ द्वारा एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश पिण्डवाडा में एक वाद प्रस्तुत

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया, जो वाद संख्या 50/2015 पर दर्ज रजिस्टर हुआ, जिसमें वाद सुनवाई पक्षकारान् दिनांक 15.04.2017 को निर्णय पारित किया गया, जिसमें भी प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या तीन से नौ के पक्ष में ही माना है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र परिपोषणीय प्रतीत नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2023.03.01 18:39:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner